उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग–3
संख्या–103/1/1/2015–सीएक्स–3
लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2016

## अधिसूचना

चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू–गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं करोसिन आपूर्ति कार्य के लिए किया जा रहा है;

और चूंकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा;

अतएव, अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू–गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और अग्रतर यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भूगृहादि पर लगाई जायेगी।

## अनुसूची

| प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टयां | |
|---|---|
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तेल डिपो, ग्राम सुन्दरा उर्फ पूठा, तहसील–मेरठ, थाना–टी0पी0 नगर, जिला–मेरठ। | |
| पूर्व में– | इण्डियन ऑयल डिपो एवं रेलवे लाइन |
| पश्चिम में– | डिवाइडर रोड और मेरठ विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी भूमि एवं सी0आर0पी0एफ0 कैम्प |
| उत्तर में– | सड़क एवं मेरठ विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी भूमि एवं कृषि भूमि |
| दक्षिण में– | इण्डियल ऑयल डिपो |

19.2.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव